न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपी0 वाद सं0–16/2022–23

संजय कुमार वर्मा बनाम तालकेश्वर सिंह

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
13/7/2023	आवेदक संजय कुमार वर्मा, पिता–सरयु राम, ग्राम–कुन्दा, थाना–कुन्दा, जिला–चतरा के द्वारा न्यायालय अंचल अधिकारी, कुन्दा का विविध वाद संख्या–02/2022–23 में दिनांक–10.08.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से विविध अपील वाद दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकारों को वर्णित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षों द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि**–"यह कि अपीलार्थी के द्वारा लाया गया विविध अपील अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा पारित किया गया आदेश के विरूद्ध यह वर्तमान विविध वाद अपील श्रीमान् के न्यायालय में लाया गया है। अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा पारित किया गया आदेश में श्रीमान् के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है, कारण कि अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा विधि संगत के अनुसार आदेश पारित नहीं किया गया है। यह कि अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा किया गया आदेश त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है तथा झारखण्ड रेकॉर्ड मेन्टेनेन्स एक्ट, 1973 के तहत् नहीं किया गया है, बल्कि क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर आदेश पारित किया गया है, जिस कारण से अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा पारित किया गया आदेश को खारिज करने के योग्य है। यह कि प्रश्नगत जमीन साकिन/मौजा–कुन्दा, थाना नं0–145, थाना–कुन्दा, जिला–चतरा के अन्दर खाता नं0–16, प्लॉट नं0–432, कुल रकवा–2.49 एकड़ मधे 14 1/2 डी0 जमीन, प्लॉट संख्या–697, रकवा–32 डी0 मधे 16 डी0 प्लॉट संख्या–698 रकवा–04 डी0 मधे 02 डी0 कुल रकवा–19 1/4 डी0 जमीन, जिसकी चौहद्दी–उत्तर–राजा साहेब, दक्षिण–रामवृक्ष सिंह, पुरब–ननकु भुईयाँ, पश्चिम रोड एवं अन्य परती जमीन तथा खाता संख्या–177, प्लॉट संख्या–699, रकवा–31 डी0 मधे 15 1/2 जमीन तथा खाता संख्या–177, प्लॉट संख्या–699, रकवा–15 1/2 डी0 जमीन, जिसकी चौहद्दी उत्तर गैरमजरूआ जमीन, दक्षिण–राजा साहेब, पुरब–गैरमजरूआ जमीन, पश्चिम रोड है, जो निबंधित दान पत्र संख्या–5027 दिनांक–02.12.1986 ई0 को अपीलार्थी के पिता–सरयु राम पिता–बासुदेव राम, साकिन–मौजा–कुन्दा, थाना–प्रतापपुर वर्तमान थाना–कुन्दा, जिला–चतरा के	

द्वारा मसो0 सखरी देवी पति सिफल राम से प्राप्त की गई जमीन है, जिसे सरयु राम दान लेना स्वीकार किया तथा अपनी दान से प्राप्त की गई जमीन पर शांतिपूर्वक काबिज दखलकार रहकर फसल अपने मशरफ में लाते रहे तथा अंचल कार्यालय, प्रतापपुर मे दाखिल खारिज हेतु आवेदन देकर दाखिल खारिज कराकर सरकार को लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कराते रहे। यह कि सरयु राम के वारिसान के रुप में तीन पुत्र हुए जिसमें संजय कुमार वर्मा इस मुकदमें मे अपीलार्थी है तथा सरकार को लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कराते रहे। यह कि आवेदक के द्वारा खाता जमाबंदी पंजी-2 मे त्रुटि को दूर करने हेतु शुद्धि आवेदन पत्र दाखिल किया गया, जिसके आधार पर आवेदन को विविध वाद संख्य–02/2022–23 दर्ज करते हुए भू–राजस्व कर्मचारी एव अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसमें भू–राजस्व कर्मचारी के द्वारा जॉच प्रतिवेदन दाखिल करते हुए उल्लेख किया है कि जमाबंदी पंजी 2 के पेज संख्या-21/1 मे जमाबंदी दर्ज है तथा अपीलार्थी का पक्के का मकान बना हुआ है तथा शेष घर–बारी के रुप मे है। यह कि कर्मचारी के द्वारा पुनः जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि खाता संख्या–177 प्लॉट सख्या–699, रकबा–31 डी0 जमीन का जमाबंदी छेदी सिंह के नाम से डिमाण्ड पंजी–2 के पेज संख्या–85/5 पर दर्ज है तथा मामला दोहरी जमाबंदी का है। यह कि भू–राजस्व कर्मचारी के द्वारा छोटु सिंह के नाम से डिमाण्ड चलने की बात को मिथ्या उल्लेख किया है, कारण कि छोटु सिंह के नाम से किसी प्रकार का जमाबंदी प्रश्नगत जमीन से संबंधित नही है। यह कि श्रीमान का ध्यान आकृष्ट कराना है कि अपीलार्थी की जमाबंदी को छेड़–छाड़ करते हुए खाता संख्या–177 के स्थान पर 277 किया गया है तथा प्लॉट संख्या–699 के स्थान पर 799 किया गया है, जो बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बगैर राजस्व कर्मचारी से मिलकर आवेदक के पिता के नाम से चली आ रही जमाबंदी को छेड़–छाड कर प्लॉट संख्या–699 के स्थान पर 799 किया गया है तथा खाता सख्या–177 के स्थान पर 277 किया गया है, जो श्रीमान् के द्वारा खुली ऑखों से भी देखा जा सकता है। यह कि अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा गलत ढंग से आवेदक के बगैर जमाबंदी को अवलोकन किये बगैर ही आदेश पारित किया है। यह कि विपक्षी के द्वारा गलत एवं काल्पनिक एवं बनावटी बिक्रय पत्र के आधार पर दावी करने का प्रयास किया जा रहा है। अपीलार्थी के पिता के नाम से जमाबंदी कायम नही किया जा सकता था, परंतु अपीलार्थी के पिता के नाम से चली आ रही जमाबंदी में दर्ज खाता प्लॉट में ओभर राईटिंग कर खाता संख्या–177 के स्थान 277 किया गया है। यह कि विपक्षी का जमाबंदी बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश का ही चल रहा है, जो केवल राजस्व कर्मचारी को मेल मे लाकर एक षड़यंत्र के तहत् अपीलार्थी के पिता के नाम से चली आ रही जमाबंदी मे छेड़–छाड़ किया गया है। यह कि विद्वान अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा प्रश्नगत जमीन पर जाकर जॉच–पड़ताल नही किया गया है, बल्कि केवल ऑफिस वर्क किया गया है। यह कि अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा अपीलाथी के द्वारा दाखिल किये गये बिक्री विलेख पत्र एवं पूर्व

मे चली आ रही पंजी–2 का अवलोकन नहीं किया है तथा गलत तरीके से अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक–10.08.2022 को आदेश पारित किया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से विधि सम्मत नहीं है तथा काफी त्रुटिपूर्ण है, जिस कारण से श्रीमान को अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वार पारित किया गया आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है तथा अपीलार्थी श्रीमान से करबद्ध निवेदन करता है कि अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा पारित किया गया आदेश को खारिज किया जाय तथा अपीलार्थी के पिता के नाम से पूर्व से चली आ रही जमाबंदी के अनुसार जमाबंदी पंजी 2 मे सुधार करते हुए अपीलार्थी के पिता के नाम से सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी, कुन्दा को निर्देश देने की कृपा की जाय। यह कि विपक्षी के द्वारा दिये गये जवाब अर्थहीन, बनावटी एवं काल्पनिक बातों पर आधारित है तथा इनके द्वारा दिये गये जवाब प्रश्नगत जमीन से संबंधित न होकर बिना किसी मतलब का ही जवाब दिया गया है। यह कि विपक्षी के द्वारा जवाब में उल्लेख किया है कि मसो0 सखरी देवी को अपने पुत्र के नाम से दान देने का कोई औचित्य नही है, परंतु इस बिन्दु पर श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट कराना है कि सखरी देवी या सरयु राम के अन्य रक्त संबंधित परिवारों के द्वारा किसी प्रकार का आपति व्यक्त नहीं किया गया है तथा सम्पति अन्तरण अधिनियम 1883 के अनुसार दान किसी को भी दिया जा सकता है। बशर्ते कि प्रतिगृहिता एवं प्रतिगृहिती के द्वारा किसी प्रकार का आपति नही है। सम्पति अन्तरण का एक माध्यम बनाया गया है। तथा विपक्षी को खाता संख्या–16 की जमीन से किसी प्रकार का आपति व्यक्त करना असुसंगत है। यह कि दान पत्र विलेख के भाग 2 में अंकित सम्पति का विवरण में स्पष्ट रूप से खाता संख्या–177 एवं प्लॉट संख्या–699 रकवा–31 डी0 मधे 15 1/2 डी0 उल्लेख है, जिसके आधार पर दाखिल खारिज होकर सरयु राम के नाम से रसीद निर्गत होते चला आ रहा है तथा विशिष्ट रूप से भूमि का चौहद्दी भी दिया गया है, जिसके आधार पर दाखिल खारिज होकर सरकारी मालगुजारी रसीद सरयु राम के नाम से निर्गत होते चला आ रहा है। यह कि विपक्षी का कहना गलत है कि सरयु राम का जमाबंदी वर्ष 2003–04 में कायम हुआ है, बल्कि सरयु राम का जमाबंदी दान–पत्र के तिथि के बाद में जमाबंदी चला आ रहा है। यह कि विपक्षी के द्वारा दाखिल किया गया लिखित कथन में कोई विधिक बल नहीं है तथा काफी त्रुटिपूर्ण एवं असुसंगत बातों का उल्लेख किया गया है, जिसे अपीलार्थी साफ तौर से इन्कार करते हैं तथा विपक्षी के द्वारा विधिक बिन्दुओं से हटकर गलत एवं बनावटी ढंग से जवाब दाखिल किया है। यह कि अपीलार्थी के द्वारा दाखिल किया गया अपील वाद विधि के तहत् सुसंगत है तथा अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा पारित किया गया आदेश विधि के तहत् त्रुटिपूर्ण एवं भावावेश के तहत् किया गया है, जिसे निरस्त करने की कृपा की जाय तथा अपीलार्थी के पिता के नाम से चल रही पूर्व से जमाबंदी को यथा स्थिति रखते हुए वर्तमान मे जमाबंदी पंजी 2 को छेड–छाड कर खाता संख्या–799 के स्थान पर 277 तथा प्लॉट संख्या–699 के स्थान पर 699 किये जाने हेतु अंचल अधिकारी, कुन्दा को निर्देश देने की कृपा की जाय। यह कि विधि का

सिद्धान्त है कि (Oral evidence cannot be supressed upon the documentary evidence B.L.J.R. 2001, Page No......patna High Court. यह कि अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में खतियान, दान पत्र एवं सरकारी मालगुजारी रसीद दाखिल किया है तथा अपीलार्थी का प्रश्नगत जमीन पर शांतिपूर्वक काबिज–दखलकार चला आ रहा है। यह कि अवैध जमाबंदी के संबंध में माननीय, झारखण्ड हाई कोर्ट के द्वारा विधि का अवधारणा दिया गया है कि "अवैध जमाबंदी को रद्द करने में किसी प्रकार का रोक नही करता है, J.C.R. 2009, Vol. 2, Page No.153 (Jharkhand High Court). यह कि उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेज के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पिता की जमाबंदी पंजी 2 में विपक्षी के द्वारा राजस्व कर्मचारी को मेल में लाकर षडयंत्र के तहत छेड़–छाड़ किया है तथा खाता संख्या–177 के स्थान पर 277 बनाया है तथा प्लॉट संख्या–699 के स्थान पर 799 बनाया है जो केवल अपीलार्थी की जमीन को हड़पने का षडयंत्र मात्र है, जिसे सुधार कर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी कुन्दा को निर्देश देने की कृपा की जाय। अतः श्रीमान से अपीलार्थी करबद्ध निवेदन करते हैं कि अपील वाद को स्वीकार करते हुए जमाबंदी पंजी 2 में किये गये ओभर राईटिंग को खाता संख्या–277 के स्थान पर 177 किया जाय तथा प्लॉट संख्या–7799 के स्थान पर 699 करते हुए सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी, कुन्दा को निर्देश देने की कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि–" यह कि अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी कुन्दा के आदेश दिनांक–10/08/2022 के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा के न्यायालय से अपील दाखिल किया गया है। यह कि अपीलार्थी अपना विविध अपील वाद संख्या–16/22 परिसीमा अधिनियम की धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है जबकि अपील का समय अवधि 30 दिन है लेकिन 30 दिन के बाद दाखिल किया है। लेकिन परिसीमा अधिनियम के धारा 5 का कोई आवेदन नहीं है यह कि प्रतिवादी के वाद का साराश निम्न प्रकार है– यह कि खाता संख्या–177 खेवट संख्या–14/1 प्लॉट संख्या–699 जिसका कुल रकवा– 0.31 डी0 है जो सर्वे खतियान में लटु कहार के नाम से दर्ज है। यह कि खाता संख्या–177 खेवट संख्या–14/1 खेवटदार छेदी सिंह थे। यह कि लटु कहार अपने संयुक्त परिवार में अपना मात्र एक पुत्र सिफल कहार को छोड़कर मृत्यु प्राप्त किये थे तथा सिफल कहार अपने तीन पुत्री शारदा देवी, फुलमंती देवी एवं मालो देवी को छोड़कर मृत्यु प्राप्त किया था। यह कि सिफल कहार को पैसे की आवश्यकता पड़ा तो वह खाता संख्या–177 प्लॉट संख्या–699 खेवट संख्या–14/1 रकवा–0.31 डी0 जिसका चौहद्दी–उत्तर–रास्ता, द0–टांड नीज बिक्रेता, पू0–रामेश्वर नाथ सिंह, प0–रास्ता, सिफल कहार पूरा पैस लेकर निबंधित बिक्रय पत्र संख्या–211 दिनांक–15.03.1939 को छोटु सिंह के पक्ष में बिक्रय कर दिये थे तथा भूमि पर कब्जा भी दे दिये थे। यह कि छोटु सिंह निबंधित केवाला के तिथि से भूमि पर कब्जे में आये तथा जोत कोड कर सभी

तरह का फसल उपजाते रहे तथा जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दार रसीदें प्राप्त करने लगे। यह कि जब वर्ष 1950 में राज्य की समर्पित हुई तो राज्य समाप्ति के पश्चात् अंचल प्रतापपुर में छोटु सिंह के नाम से सरकारी सिरिस्ते में जमाबंदी होकर रसीद निर्गत होने लगा तथा सरकार को लगान देकर सरकारी रसीदें कटवाने लगे तथा छोटु सिंह के मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी जमीन को जोत कोड़ करते आ रहे हैं तथा सरकार को लगान देकर सरकारी रसीदें छोटु सिंह के नाम पर कटते आ रह है। तथा भूमि पर दखल कर चले आ रहें है। यह कि वादी का वाद का सारांश निम्न प्रकार है। यह कि अपीलार्थी संजय कुमार वर्मा पिता सरयु राम ने अंचल कार्यालय, कुन्दा में एक आवेदन दिया जिसमे बताया कि खाता संख्या–177, प्लॉट संख्या–699, रकवा–31 डी0 भूमि हमारे दादा स्व0 सिफल राम पिता लटटु राम के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–123/1 पर दर्ज था उक्त भूमि मे 15 1/2 डी0 भूमि बिक्री कर दी गई, शेष रकवा–15 1/2 डी0 भूमि बच रहा है जो पंजी–2 के नकल के लिए आवेदन दिये तो पंजी–2 पर खाता संख्या–177 के स्थान पर 277 एवं प्लॉट संख्या–699 के स्थान पर 799 किया हुआ है, जो गलत है, इसे सुधार करने का अनुरोध किया है। जबकि अपीलार्थी विविध अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय मे दाखिल अपील मे कहा है कि खाता संख्या–16 एवं खाता संख्या–177 की भूमि बिक्रय पत्र संख्या–5026 दिनांक–02.12.1986 मसो0 सखरी देवी पति सिफल राम से अपीलार्थी के पिता सरयु राम खरीद किया है।" उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, कुन्दा के द्वारा जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है। अभिलेख में संलग्न है। **द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेखित किया गयाहै कि**–"यह कि विचारणीय बिन्दु तो यह है कि संजय कुमार वर्मा अपना दावी दो बिन्दुओं के आधार पर दावा करते है। प्रथम दावा संजय कुमार वर्मा पिता सरयु राम का दावा है कि गिफ्ट संख्या–5026 दिनांक–02.12.1986 को खाता संख्या–177 के प्लॉट संख्या–699 में 15½ डी0 कुल रकवा–0.31 डी0 में से 15½ डी0 गिफ्ट से प्राप्त किये। द्वितीय दावा है कि संजय कुमार वर्मा खतियानी रैयत के वंशज हैं। संजय कुमार वर्मा के आवेदन पर अंचल अधिकारी, कुन्दा में राजस्व कर्मचारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की जिसमें स्पष्ट है कि खाता संख्या–177, प्लॉट संख्या–699 रकवा–0.31 डी0 भूमि सिफल कहार पिता लटु राम के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–123/1 पर दर्ज है। उक्त भूमि में 15½ डी0 की बिक्री की गई सोचनीय बिन्दु यह है कि अगर संजय कुमार वर्मा पिता सरयु राम अगर लटु कहार के पुत्र हैं तो उनको मसो0 सकरी देवी, पति–सिफल राम यानि अपने मॉ से पुत्र को गिफ्ट लेने की जरूरी नहीं था। चूंकि सरयु राम मात्र एक पुत्र बताते हैं। इससे स्पष्ट है कि सरयु राम खतियानी रैयत लटु कहार के वंशज नहीं हैं। इतना ही नहीं संजय कुमार वर्मा के द्वारा दाखिल रजिस्टर 2 का निर्माण दाखिल खारिज केश संख्या–120/2003–04 है जो सिफल कहार पिता लटु राम दर्ज है। इसके पूर्व का कोई रजिस्टर 2 नहीं है और ना ही इसके पहले जमीन से संबधित कोई भी रसीद निर्गत है। इतना ही नहीं सिफल कहार की पत्नी

मसो0 सकरी देवी से संजय कुमार वर्मा जिनके पिता सरयु राम हैं वे अपनी माँ से गिफ्ट लेते हैं उसका भी दाखिल खारिज संख्या–120/2033–04 है जो शुद्धि पत्र एवं ऑन लाईन रजिस्टर 2 में दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि सरयु राम के नाम पर ही वर्ष 2003–04 में पहला जमाबंदी कायम हुआ, इससे पहले कभी नही हुआ था तथा सिफल कहार के नाम पर जमाबंदी संख्या–120/2003–04 केवल जाली दान पत्र बनाने हेतु यह प्रक्रिया अपनाया गया था। यह कि महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी रिपोर्ट के अनुसार सिफल राम के नाम पर 15½ डी0 जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–123/1 पर दर्ज है। जबकि सिफल राम के नाम पर सरकारी रसीद संख्या–7401612 में 0.31 डी0 रकवा दर्ज है जबकि कर्मचारी रिपोर्ट में नहीं है। यह कि बताते चले कि संजय कुमार वर्मा लटु कहार के वंशज में नहीं है। चूंकि लटु कहार का एक पुत्र सिफल कहार और सिफल कहार के तीन पुत्री शारदा देवी, फुलवती देवी और मालो देवी थे। संजय कुमार वर्मा का यह कहना कि सिफल राम के पुत्र सरयु राम है, गलत है। सच्चाई तो यह है कि सरयु राम के पिता के नाम बासुदेव राम है और सरयु राम के तीन पुत्र सुधीर राम, गुड्डु राम और संजय राम उर्फ संजय कुमार वर्मा हैं जो लटु कहार के वंशावली से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। केवल छोटु सिंह के वंशज को तंग तबाह करने के उद्देश्य से गलत दान पत्र लिया गया है। चुंकि जब सरयु राम सिफल राम के पुत्र थे तो उसे गिफ्ट मसो0 सकरी देवी से लेने का कोई जरूरत नहीं था। दान पत्र से स्पष्ट है कि सरयु राम लटु कहार के वंशज नहीं है। यह कि ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा 122 के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसमें स्पष्ट है कि दान पत्र दानदाता के जीवन काल में ही अमल में आना चाहिए यानी म्यूटेशन दानदाता के जीवनकाल में ही होना चाहिए जब कि दानदाता की मृत्यु के पश्चात् वर्ष 2003–04 में दानपत्र के आधार पर जमाबंदी कायम किये जो अभी प्रभावशाली है। यह कि बताते चले कि संजय कुमार वर्मा के आवेदन एवं दान पत्र संख्या–5027 दिनांक–02.12.1986 मसो0 सकरी देवी, पति–सिफल कहार बनाम सरयु राम खाता संख्या–177 के प्लॉट संख्या–699 में रकवा–15½ डी0 जिसका कुल रकवा–0.31 डी0 भूमि से खरीद करता है जबकि छोटु सिंह बिक्रय पत्र संख्या–211 दिनांक–15.03.1939 को ही खाता संख्या–177 प्लॉट संख्या–699 के कुल रकवा–0.31 डी0 भूमि खरीद किये है, तो सिफल कहार की पत्नी पुनः दान पत्र उसी भूमि को करने का कोई अधिकार नही हैं, क्योंकि मसो0 सकरी देवी सिफल कहार की पत्नी मान लिया जाय तो पूर्व मे ही सिफल कहार छोटु सिंह के पक्ष में बिक्रय कर चुका है। जिस बिक्रय पत्र को रद्द करने हेतु सिफल कहार या उनके वारिशान के द्वारा आज 83 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा बिक्रय पत्र संख्या–211 दिनांक–15.03.1939 को रद्द करने हेतु कोई आवेदन दाखिल नहीं है। सूचित हो कि मसो0 सकरी देवी सिफल राम का कोई पत्नी नहीं है। सिफल राम की पत्नी सिफल राम के जीवन काल में ही मृत्यु प्राप्त हो गई थी तथा सिफल राम अपना खाता संख्या–177 के प्लॉट संख्या–699 के रकवा–0.31 डी0 भूमि वर्ष 1939 ई0 में ही छोटु सिंह के नाम पर बिक्रय पत्र

संख्या–211 दिनांक–15.03.1939 के द्वारा कर दिया था जिसके कारण सिफल कहार के नाम पर न तो कोई जमीन्दारी सिरिस्ते में रसीद काटा ना ही वर्ष 1950 में राज्य समाप्ति के बाद सरकारी सिरिस्ते में खाता संख्या–177, प्लॉट संख्या–699, रकबा–0.31 डी0 से संबंधित कोई जमाबंदी कायम नहीं हुआ था जिससे स्पष्ट है कि सिफल कहार 1939 के बाद खाता संख्या–177 वाली भूमि पर जोत अधिकार नहीं है और यदि सिफल कहार की पत्नी बनकर सकरी देवी सरयु राम के नाम पद दावा करता है तो वह नाजयज है। चूंकि यदि पति भूमि को बेच दिये है तो पत्नी फिर कहाँ से बेच सकती है। अतः प्रथम पक्ष संजय कुमार वर्मा के दोनो आधार खाता संख्या–177, प्लॉट संख्या–699 का कुल रकबा–0.31 डी0 से संबंधित कोई वाद लाना निराधार है। चूंकि संजय कुमार वर्मा ना तो लटु राम/कहार के वंशज में है और ना ही दान पत्र के आधार पर लटु राम के संपत्ति पाने के अधिकारी है। यह कि अपीलार्थी संजय कुमार वर्मा का यह कहना कि वह खतियानी रैयत के वंशज हैं, गलत है, साथ ही साथ यह कहना कि सिफल कहार का पुत्र सरयु राम और सरयु राम के पुत्र संजय कुमार वर्मा, गलत हैं। सच्चाई तो यह है कि लटु राम के द्वारा खरीददार को तंग तबाह कर भूमि को हड़पना चाहते हैं। अतः आवेदक का आवेदन पोषनीय नहीं है। यह कि अपीलार्थी का यह कहना कि बिक्रय पत्र संख्या–5027 दिनांक–02.12.1986 से भूमि पर दखल कब्जा में हैं तो भी वह नाजायज होगा, चूंकि गलत कागजात के आधार पर यदि लम्बे समय से कब्जे में भी है तो वह नाजायज माना जायेगा। चूंकि कब्जा के आधार पर हक हकीयत प्राप्त नहीं होता है। यह कि इस वाद में अपीलार्थी दान पत्र को बिक्रय पत्र कहते हैं और उनकी दावा पत्र संख्या–5027 दिनांक–02.12.1986 के आधार पर दावा करते है, इसलिए उनका यह कहना कि खतियानी रैयत के वंशज हैं, निराधार है। दूसरी तरफ विपक्षी विक्रय पत्र संख्या–211 दिनांक–15.03.1939 से दावा करता है, जो सिफल कहार से खरीद किया है एवं बिक्रय पत्र संख्या–211 के आधार पर विपक्षी के जमाबंदी कायम तथा वह दखल कब्जे में है। अतः अपीलार्थी जहाँ दान पत्र सिफल कहार की पत्नी से लेकर दावा करते है, जिससे स्पष्ट है कि यह मामला हक हकीयत से संबंधित है एवं हक हकीयत का मामला देखने का क्षेत्राधिकार रेवेन्यु न्यायालय का नहीं है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा टांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा 122, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशो का उद्धरण अपने पक्ष के दावे के समर्थन में किया गया है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी के द्वारा लाया गया अपील को हर्जाने के साथ खारिज करने करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, कुन्दा अपने आदेश फलक में यह उल्लेखित किया है कि– "आवेदक श्री संजय कुमार वर्मा पिता सरयु राम ग्राम–कुन्दा द्वारा आवेदन दिया गया कि मौजा–कुन्दा के खाता संख्या–177, प्लॉट संख्या–699, रकबा–0.31 ए0 भूमि उनके दादा स्व0 सिफल राम पिता लटु राम के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ संख्या 127/1 पर दर्ज था।

उक्त भूमि में 0.15 1/2 ए0 भूमि बिक्री कर दी गई। शेष जमीन रकवा— 0.15 1/2 ए0 बच रहा है। पंजी—2 के नकल के लिए गए तो पंजी—2 पर खाता संख्या—177 के स्थान पर 277 एवं प्लॉट संख्या—699 के स्थान पर 799 किया हुआ है जो गलत है। आवेदक द्वारा इसे सुधार करने का अनुरोध किया गया है। इस आवेदन की जॉच राजस्व उप निरीक्षक—सह—प्रभारी अंचल निरीक्षक, कुन्दा से कराई गई। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि विवादित भूमि मौजा—कुन्दा के खाता संख्या—177, प्लॉट संख्या—699, रकवा—0.31 ए0 भूमि सर्वे खतियान में लटु कहार के नाम से दर्ज है जो आवेदक के दादा है। जमाबंदी पंजी—2 के पंज संख्या—127/1 पर जमाबंदी कायम होकर सरकारी रसीद निर्गत की गई है। इस भूमि में 0.15 1/2 ए0 बिक्री करने के पश्चात् 0.15 1/2 ए0 का जमाबंदी पृष्ठ संख्या—21/1 पर कायम है एवं सरकारी रसीद निर्गत हो रही है। पंजी—2 के जॉचोपरांत खाता संख्या—177 प्लॉट संख्या—699 रकवा—0.31 ए0 की जमाबंदी छोटु सिंह पिता छेदी सिंह ग्राम—कुन्दा के नाम से पृष्ठ संख्या—58/1 पर दर्ज है। उक्त आदेश के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया कि विवादित जमीन मौजा—कुन्दा खाता संख्या—177, प्लॉट संख्या—699 रकवा—0.31 ए0 उनके पूर्वज के नाम से खतियानी भूमि है। इस भूमि का जमाबंदी पंजी—2 के पृष्ठ संख्या 127/1 पर कायम है। इस भूमि में मधे रकवा—0.15 1/2 ए0 बिक्री किया गया है। जिसका जमाबंदी पंजी—2 के पृष्ठ संख्या—21/11 पर कायम होकर सरकारी रसीद निर्गत हो रही है। ऑनलाईन कराने गये तो पंजी—2 में खाता संख्या—177, प्लॉट संख्या—699 में छोटु सिंह के नाम अंकित है। जब पुराना पंजी—2 का सत्यापित प्रति प्राप्त किया तो पाया कि पंजी—2 को छेड़—छाड़ कर खाता संख्या—177 को 277 एवं प्लॉट संख्या—699 को 799 कर दिया गया है जबकि प्रथम पक्ष द्वारा क्रय भूमि की जमीन बिक्री की गई है और इस जमीन पर पुश्तैनी कच्चा मकान कुआं बना हुआ है तथा कब्जा में है। प्रथम पक्ष द्वारा विवादित भूमि का निर्गत लगान रसीद का क्रम संख्या ऑफलाईन पंजी में इन्द्राज से मिलान कराया गया। आगे बताया गया कि कुन्दा हल्का में मात्र 238 खाता है तो खाता संख्या—227 कैसे हो सकता है। इस संबंध में राजस्व उप निरीक्षक से वास्तविक स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम—कुन्दा में कुल 240 खाता है एवं कुल 1008 प्लॉट है। खाता संख्या—177, प्लॉट संख्या—699, रकवा—0.31 ए0 भूमि जॉचोपरांत उक्त भूमि पर लगभग 0.01 1/2 ए0 पर मकान अवस्थित है शेष भूमि 0.29 1/2 ए0 भूमि वर्तमान में परती है। प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किये गये केवाला में गवाह भजन राम एवं जुगल राम का फर्जी हस्ताक्षर है। इन दोनो गवाह का हस्ताक्षर प्रस्तुत किया गया है। प्रथम पक्ष द्वारा निम्नांकित कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया है—

1. सरकारी लगान रसीद संख्या 7401612 शिफल राम के नाम से
2. सरकारी लगान रसीद संख्या 757183 शिफल राम के पक्ष में

Mo

जा

3. मधे रकवा–0.15 1/2 ए0 का केवाला
4. मधे रकवा–0.15 1/2 ए0 का शुद्धि पत्र
5. मधे रकवा–0.15 1/2 ए0 का सरकारी लगान रसीद सरयु राम क पक्ष में ।
6. ऑफलाईन पंजी–2 की सत्यापित प्रति की
7. ऑनलाईन खतियान।

प्रथम पक्ष द्वारा उक्त कागजातो के आधार पर खाता संख्या–177 को छोडकर 277 एवं प्लॉट संख्या 699 को छेड कर 799 को सुधार करते हुए खाता संख्या 177 एवं प्लॉट संख्या–699 करते हुए लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया। विपक्षी की ओर से लिखित अभिकथन दाखिल करते हुए बताया गया कि खाता संख्या–177 खेवट संख्या–14/1 प्लॉट संख्या–699 जिसका कुल रकवा–0.31 ए0 सर्वे खतियान में लटु कहार के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत लटु कहार जमींदार को लगान देकर उक्त भूमि पर काबिज रहे। उक्त भूमि का खेवटदार छेदी सिंह थे। लटु कहार का मात्र एक पुत्र सिफल कहार एवं सिफल कहार के तीन पुत्री क्रमशः शारदा देवी, फुलमती देवी एवं मालो देवी थी। सिफल कहार को पैसे की आवश्यकता पड़ा तो विवादित भूमि निबंधित विक्रय पत्र संख्या–211, दिनांक–15.03.1939 को छोटु सिंह के पक्ष में विक्रय कर दिये तथा भूमि पर कब्जा भी दे दिये। तदोपरांत छोटु सिंह काविज होकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त करने लगे। जमीन्दार उन्मूलन के बाद छोटु सिंह के नाम से सरकारी सिरिस्ते में जमाबंदी कायम हुआ एवं उत्तराधिकारी काविज हुए। विपक्षी का दावा संजय कुमार वर्मा पिता सरयु राम गिफट संख्या–5026 दिनांक–02.12.1986 से खाता संख्या–177 प्लॉट संख्या–699 कुल रकवा–0.31 ए0 मधे रकवा–15 1/2 ए0 हासिल है। राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन में विवादित भूमि सिफल कहार पिता–लटु राम के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–123/1 पर दर्ज है उक्त भूमि में 15 1/2 ए0 की बिक्री की गई है। यह भी प्रतिवेदित है कि पंजी–2 के जॉचोपरांत विवादित भूमि की जमाबंदी छोटु सिंह पिता–छेदी सिंह के नाम पर पृष्ठ संख्या–58/1 पर दर्ज है। अगर संजय कुमार वर्मा पिता सरयु राम अगर लटु कहार के पुत्र है तो उन्हें सकरी देवी पति सिफल राम यानि अपने मॉ से गिफट लेने की जरूरत नहीं थी। चूँकि सरयु राम मात्र एक पुत्र बताते हैं। इससे स्पष्ट है कि सरयु राम खतियानी रैयत लटु कहार के वंशज नही है। विपक्षी द्वारा दाखिल पंजी–2 का निर्माण दाखिल खारिज केश संख्या–120/2003–04 है जो सिफल कहार पिता–लटु राम दर्ज है। इसके पूर्व का कोई पंजी–2 नहीं है और न हीं रसीद निर्गत है। विपक्षी के पतपा को अपने मॉ से गिफट से हासिल भूमि का दाखिल खारिज 2003–04 में हुआ इससे पूर्व जमाबंदी कायम नहीं था। कर्मचारी प्रतिवेदन अनुसार सिफल गंझु के नाम पर 0.15 1/2 ए0 भूमि जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–123/1 पर दर्ज हैं। जबकि सिफल राम के नाम पर सरकारी रसीद संख्या–7401612 में 0.31 ए0 रकवा दर्ज है ऐसा कर्मचारी रिर्पोट में नही है। संजय कुमार वर्मा लटु कहार के वंशज नहीं है चूँकि लटु कहार का एक मात्र

पुत्र सिफल कहार और सिफल कहार के तीन पुत्री शारदा देवी, फलवंती देवी और मालो देवी थी। संजय कुमार वर्मा का दलील कि सिफल राम के पुत्र सरयु राम है गलत है। सच्चाई यह कि सरयु राम के पिता वासुदेव राम हैं और सरयु राम के तीन पुत्र सुधीर राम, गुड्डु राम व संजय राम उर्फ संजय कुमार वर्मा है जो लट्टु कहार के वंशावली से दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं है। दान पत्र से स्पष्ट है कि सरयु राम लट्टु कहार के वंशज नहीं हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा 122 के तहत दान पत्र दानदाता के जीवनकाल में ही अमल में आना चाहिए परंतु दानपत्र का दाखिल खारिज वर्ष 2003–04 में हुआ है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की उपधारा–4 एवं बिहार काशतकारी अधिनियम की धारा–14, 15 के अंतर्गत विक्रय पत्र को एक साल के अंदर दाखिल खारिज होना चाहिए। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–11 (4) का उद्हरण दिया गया है। संजय कुमार वर्मा का आवेदन एवं दान संख्य–5027, दिनांक–02.12.1986 सकरी देवी पति–स्व0 सिफल कहार बनाम सरयु राम खाता संख्या–177 के प्लॉट संख्या–699 में रकवा–0.15 1/2 ए0 जिसका कुल रकवा–0.31 ए0 से खरीद है जबकि छोटु सिंह विक्रय पत्र 211 दिनांक–15.03.1939 को ही खाता संख्या–177, प्लॉट संख्या–699 कुल रकवा–0.31 ए0 खरीद किये हैं तो सिफल कहार की पत्नी पुनः दान पत्र उसी भूमि को करने का उत्तराधिकारी नहीं हैं। क्योंकि सकरी देवी को सिफल कहार की पत्नी मान लिया जाए तो भी पूर्व में ही सिफल कहार छोटु सिंह के पक्ष में बिक्रय कर चुका है। उक्त विक्रय को सिफल राम या उनके वारिशन द्वारा आज 83 वर्ष बीत जाने के बाद भी रद्द करने का आवेदन नहीं दिया गया। सकरी देवी सिफल राम की पत्नी नहीं है। सिफल राम की पत्नी सिफल राम के जीवन काल में ही मृत्यु हो गई एवं सिफल राम सन् 1939 में ही उक्त भूमि को छोटु सिंह को विक्रय पत्र संख्या–211 कर दिया गया था जिसके कारण सिफल कहार के नाम पर न तो कोई जमीन्दार सिरिस्ते में रसीद कटा न ही वर्ष 1950 को राज समाप्ति के बाद सरकारी सिरिस्ते में विवादित भूमि का जमाबंदी कायम नहीं था जिससे यह स्पष्ट कि सिफल कहार 1939 के बाद विवादित भूमि पर अधिकार नहीं रहा और यदि सिफल कहार की पत्नी बनकर सकरी देवी सरयु राम के नाम पर दान करता है तो वह नाजायज है। चूँकि यदि पति भूमि के बेच दिये हैं तो पत्नी फिर कैसे बेच सकती है। इस प्रकार प्रथम पक्ष का दावा निराधार है। विपक्षी द्वारा JBCI, Page-443 (HC) Page-270 JLJR Page-197, JCR Page 233 जो कायम जमाबंदी से संबंधित नियमन का उद्धरण देते हुए इस पोषणीय नहीं एवं खारिज करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी की ओर से निम्नांकित कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया है–

1. ऑनलाईन लगान रसीद–2 अद्द
2. ऑनलाईन पंजी–2
3. ऑफलाईन लगान रसीद–08 अद्द
4. आफलाईन पंजी–2
5. निबंधित केवाला–3 अद्द

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत पक्ष, दाखिल कागजातों, राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों/साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा विवादित भूमि क्रय किया गया जिसका जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–127/1 पर दर्ज था। परन्तु ऑनलाईन करने के क्रम में विपक्षी द्वारा पंजी–2 मे खाता संख्या–177 को छेड कर 277 एवं प्लॉट संख्या–699 रकबा–0.31 ए0 रिफल राम अंकित है। 0.15 1/2 ए0 भूमि निबंधित केवाला से हासिल होने के बाद प्रथम पक्ष के नाम नामांतरण होकर शुद्धि–पत्र निर्गत हुआ एवं लगान रसीद निर्गत हुआ। परंतु छेड–छाड कर ऑनलाईन में विपक्षी द्वारा खाता संख्या–177 को छोडकर 227 कर एवं प्लॉट संख्या–699 को छोडकर 799 कर खाता संख्या–177 प्लॉट संख्या–699 में विपक्षी अपना नाम अंकित करा लिया गया है। इस संबंध में राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि कुन्दा मौजा में कुल खाता की संख्या–238 है। विपक्षी द्वारा विवादित भूमि निबंधित विक्रय पत्र संख्या–211 दिनांक–15.06.1939 को छोटु सिंह द्वारा हासिल किया गया है। उसके बाद विवादित भूमि पर कब्जा भी दे दिये। तदोपरांत छोटु सिंह एवं उनके उत्तराधिकारी काबिज रहे। वर्तमान में ऑनलाईन पंजी–2 में दर्ज है एवं अद्यतन लगान रसीद निर्गत है। उपरोक्त सभी तथ्यों/साक्ष्यों/प्रतिवेदनों के विवेचन से प्रथम दृष्टया खाता संख्या–177 को छेड–छाड कर 277 एवं प्लॉट संख्या–699 को छेड़–छाड़ कर 799 किया प्रतीत होता है। विपक्षी का वर्ष 1939 से अबतक का पंजी–2 में नाम दर्ज होने का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए माननीय विभिन्न नियमन दाखिल किया गया है। इससे स्पष्ट है कि यह मामला स्वत्व निर्धारण से संबंधित है जिसके लिए यह सक्षम न्यायालय नहीं है। अतः इसी निष्कर्ष के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय के शरण में जाने हेतु स्वतंत्र है।"

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन/कागजातों, अंचल अधिकारी, कुन्दा से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. रैयती भूमि का मामला।
2. प्रथम पक्ष के द्वारा गिफ्ट संख्या–5026 दिनांक–02.12.1986 एवं खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर भूमि प्राप्त होने दावा।
3. द्वितीय पक्ष के द्वारा निबंधित सेल डीड के माध्यम से भूमि प्राप्त होने का दावा।

1) <u>रैयती भूमि का मामला</u> :– अंचल अधिकारी, कुन्दा के आदेश फलक में अंकित है कि–"विवादित भूमि मौजा–कुन्दा के खाता संख्या–177, प्लॉट संख्या–699, रकबा–0.31 ए0 भूमि सर्वे खतियान में लदु कहार के नाम से दर्ज है जो आवेदक के दादा है। जमाबंदी पंजी–2 के पेज संख्या–127/1 पर जमाबंदी कायम होकर सरकारी रसीद निर्गत की गई है। इस भूमि में 0.15 1/2 ए0 बिक्री करने के पश्चात् 0.15 1/2 ए0 का जमाबंदी पृष्ठ संख्या–21/1 पर कायम है एवं सरकारी रसीद निर्गत हो रही है।"

2) प्रथम पक्ष के द्वारा गिफ्ट संख्या–5026 दिनांक–02.12.1986 एवं खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर भूमि प्राप्त होने दावा :– प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह अंकित किया गया है कि–"प्रश्नगत जमीन साकिन/मौजा–कुन्दा, थाना नं0–145, थाना–कुन्दा, जिला–चतरा के अन्दर खाता नं0 16, प्लॉट नं0 432, कुल रकवा–2.49 एकड़ मधे 1.4 1/2 डी0 जमीन, प्लॉट संख्या–697, रकवा 32 डी0 मधे 16 डी0 प्लॉट संख्या 698 रकवा 04 डी0 मधे 02 डी0 कुल रकवा–19 1/4 डी0 जमीन, जिसकी चौहदी: उत्तर–राजा साहेब, दक्षिण–रामवृक्ष सिंह, पुरब–नानकु भुईयाँ, पश्चिम रोड एवं अन्य परती जमीन तथा **खाता संख्या 177, प्लॉट संख्या 699, रकवा–31 डी0 मधे 15 1/2 जमीन तथा खाता संख्या–177, प्लॉट संख्या 699, रकवा–15 1/2 डी0 जमीन,** जिसकी चौहदी उत्तर गैरमजरूआ जमीन, दक्षिण–राजा साहेब, पुरब–गैरमजरूआ जमीन, पश्चिम रोड है, जो निबंधित दान पत्र संख्या–5027 दिनांक–02.12.1986 ई0 को अपीलार्थी के पिता–सरयु राम पिता–बासुदेव राम, साकिन–मौजा–कुन्दा, थाना–प्रतापपुर वर्तमान थाना–कुन्दा, जिला–चतरा के द्वारा मसो0 सखरी देवी पति–सिफल राम से प्राप्त की गई जमीन है। **साथ ही साथ अंचल अधिकारी, कुन्दा के आदेश पत्रक में अंकित है कि–**"राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि विवादित भूमि **मौजा–कुन्दा के खाता संख्या–177, प्लॉट संख्या–699, रकवा–0.31 ए0 भूमि सर्वे खतियान में लटु कहार के नाम से दर्ज है जो आवेदक के दादा है।** जमाबंदी पंजी–2 के पंज संख्या–127/1 पर जमाबंदी कायम होकर सरकारी रसीद निर्गत की गई है। इस भूमि में 0.15 1/2 ए0 बिक्री करने के पश्चात् 0.15 1/2 ए0 का जमाबंदी पृष्ठ संख्या–21/1 पर कायम है एवं सरकारी रसीद निर्गत हो रही है।"

3) द्वितीय पक्ष के द्वारा निबंधित सेल डीड के माध्यम से भूमि प्राप्त होने का दावा :– द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अंकित किया गया है कि–"यह कि खाता संख्या–177 खेवट संख्या–14/1 प्लॉट संख्या–699 जिसका कुल रकवा– 0.31 डी0 है जो सर्वे खतियान में लटु कहार के नाम से दर्ज है। यह कि खाता संख्या–177 खेवट संख्या–14/1 खेवटदार छेदी सिंह थे। यह कि लटु कहार अपने संयुक्त परिवार में अपना मात्र एक पुत्र सिफल कहार को छोड़कर मृत्यु प्राप्त किये थे तथा सिफल कहार अपने तीन पुत्री शारदा देवी, फुलमंती देवी एवं मालो देवी को छोड़कर मृत्यु प्राप्त किया था। यह कि सिफल कहार को पैसे की आवश्यकता पड़ा तो वह खाता संख्या–177 प्लॉट संख्या–699 खेवट संख्या–14/1 रकवा–0.31 डी0 जिसका चौहद्दी–उत्तर–रास्ता, द0–टांड नीज बिक्रेता, पू0–रामेश्वर नाथ सिंह, प0–रास्ता, सिफल कहार पूरा पैसा लेकर निबंधित बिक्रय पत्र संख्या–211 दिनांक–15.03.1939 को छोटु सिंह के पक्ष में बिक्रय कर दिये थे तथा भूमि पर कब्जा भी दे दिये थे। यह कि छोटु सिंह निबंधित केवाला के तिथि से भूमि पर कब्जे में आये तथा जोत कोड कर सभी तरह का फसल

उपजाते रहे तथा जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दार रसीदें प्राप्त करने लगे।" अपलार्थी के द्वारा यह वाद तालकेश्वर सिंह, पिता–स्व0 छोटु सिंह के विरुद्ध दायर किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने एवं गिफ्ट संख्या–5026 दिनांक–02.12.1986 के आधार पर तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा निबंधित सेल डीड के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। वाद से संबंधित भूमि में स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। इस न्यायालय से कोई फैसला देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस मामले में सक्षम न्यायालय/civil court ही निर्णय ले सकता है। संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय/civil court की शरण में जा सकते है।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, कुन्दा को भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

13/07/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

13/07/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2023.08.24 00:58:44 -07:00
Location: 2409:40e4:69:999e:2771:c998:cabb:fa0a